लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
118/2024(सू.अ.) **(GCMS 2024/415)**	**16-12-2024**	**15-01-2025**

अनवान

रामलाल पिता कालुलाल गुर्जर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 9799248439)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 09.11.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./118/2024(सू.अ.)(08.01.2025)/850 दिनांक 16.12.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 15.01.2024 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2025/06 दिनांक 08.01.2025 से बिन्दुवार टिप्पणी/ कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है, इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार है :-

1. यह कि बिन्दु संख्या 01 के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री रामलाल पिता कालुलाल गुर्जर निवासी मण्डफिया को वाके मण्डफिया के वर्णित खसरा नम्बर से संबंधित जमाबंदी की नकले चौसाला आदि की प्रमाणित प्रतियां कार्यालय हाजा के द्वारा पत्र क्रमांक/रीडर/2024/182 दिनांक 27.12.2024 को रजिस्टर्ड डाके के जरिये प्रेषित की गई जिसकी प्रति संलग्न है।
2. यह कि बिन्दु संख्या 02 के अनुसार अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 के साथ सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है।
3. यह कि बिन्दु संख्या 03 के क्रम में निवेदन है कि उक्तानुसार अपीलार्थी को चाही गई उक्त खसरों से संबंधित लट्ठा शीट के नक्शा-ट्रेस संलग्न कर उपलब्ध कराये गये है। जिसकी प्रतियां संलग्न है।

इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन-मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2024 के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ अपने पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई 2024/182 दिनांक 27.12.2024 से अपीलार्थी को आवेदन के संबंध में वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित किया जा चुका है, अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा डाक रसीद की छायाप्रति प्रेषित की गई है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2024 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 09.11.2024 जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.01.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official